

ANNEXURE-1.


न्यायालय मैगाला जल (आण वर आदी) वाराणसी  
MACP No. - 212/07

श्रीवधनी सिद्धा वनाम भीमती नीलम सिंह वर  
नकल निर्णय  
दिनांक - 24-11-09





### केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date of which application is made for copy accompanied by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice on notice board.	नकल वापिस दिए जाने की तारीख Date of delivery of copy.	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy
01-01-18	16-01-18	16-01-18	



Handwritten signature or mark

6/01-01-18



303  
1

न्यायालय मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति न्यायाधीश/अपर जनपद न्यायाधीश  
विशेष न्यायाधीश अथवा अतिरिक्त अधिकारी द्वारा जारी।

पोठासीन अधिकारी:- राम अचल यादव  
एच.जे.एस.

मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाचिका संख्या- 212 तन् 2007 ई0।

शिकायती मिश्रा पुत्र स्व0 राम अथार मिश्रा, निवासी ग्राम व पोस्ट भौली  
थाना चोलापुर जनपद वाराणसी। . . . . . याची

**बनाम**

1. श्रीमती नीलम सिंह पत्नी आर.बी.सिंह, प्रबंधक जानदीप इंग्लिश स्कूल  
निवासी नटिनियादाई लुहाहाल नगर सेक्टर 5, थाना चोलापुर जनपद  
वाराणसी वाहन स्वामी वाहन संख्या यू.पी.65ए.एम./8733
2. कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ लालधर मिश्र पुत्र श्री हौशाला मिश्र, निवासी  
भौली थाना चोलापुर जनपद वाराणसी चालक हीरोहोण्डा सी.डी.  
100 गाड़ी नं0 यू.पी.65एस./0021
3. दि.ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, वाराणसी।
4. धनुषधारी यादव पुत्र घुरहू यादव निवासी काकलपुरा आयर थाना चोलापुर  
जनपद वाराणसी चालक वाहन संख्या यू.पी.65ए.एम./8733
5. दि.न्यू इण्डिया इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड लहुराहीर, वाराणसी।  
. . . . . विपक्षीयता

**निर्णय**


हस्तगत मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति वाचिका याची शिकायती कि  
की सड़क दुर्घटना दिनांक 20.08.2007 में वाहन संख्या यू.पी.65 ए.एम./  
8733 के फलस्वरूप घायल होने के परिणाम स्वरूप आयी चोटों के सम्बन्ध  
में क्षतिपूर्ति देय प्रस्तुत किया है।

मु2.श.व. वि.वाचिका के अनुसार याची विद्वान कर्मकाण्डी ब्राह्मण है तथा  
परिवार का कार्य धर्ता है। उसके उमर अपने परिवार के अलावा बच्चों के  
देख-रेख शिक्षा-दीक्षा की जिम्मेदारी है। याची की कमाई से ही पूरे परिवार  
का कार्य चल रहा था। उसके असामयिक घायल हो जाने से उसके परिवार में  
शुभमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। उसकी प्रतिमाह रु.7,000/- कमा जाता  
था। दिनांक 20.08.2007 को विपक्षी संख्या-1 जानदीप इंग्लिश स्कूल  
नटिनिया दायी, लुहाहाल नगर सेक्टर 5, वाराणसी की स्कूल बस वाहन  
संख्या यू.पी.65 ए.एम./8733 तेज गति से लापरवाही पूर्वक वाराणसी  
की ओर से आ रही थी, जिसे बस चालक धनुषधारी यादव पुत्र घुरहू यादव  
द्वारा लापरवाही पूर्वक तेज गति से चलाया जा रहा था तथा याची यू.पी.  
65 एस./0021 हीरो होण्डा सी.डी.100 मोटर साइकिल से वाराणसी



की ओर महाभद्रपुंज का जाप करने हेतु कृष्ण कुमार उर्फ लालधर मिश्र द्वारा नियंत्रित गति से चलाये जा रहे हीरोहोण्डा वाहन पर पीछे बैठकर ग्राम लक्ष्मणापुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी की तरफ जा रहा था। यात्री जब भुसौला चौका मुर्दा पुलिस चौकी के पास पहुँचा तभी विपक्षी संख्या-1 की स्कूल बस चालक के स्थान पर नेगलिजेंस चालन की वजह से अपनी दिशा से उल्टी दिशा में आकर यात्री के वाहन में टक्कर मारने के कारण वाहन पर पीछे बैठा यात्री गम्भीर रूप से घायल हो गया। यात्री द्वारा इलाज, सिंड मेडिकल एण्ड रिस्चर्च सेंटर में कराया गया एवं अभी भी इलाज चल रहा है। उसके द्वारा रु० 12, 28, 000/- क्षतिपूर्ति हेतु याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अपनी मासिक आय रु० 7, 000/- तथा आश्रितों में श्रीमती उर्मिला देवी पत्नी, अनिल कुमार मिश्रा, मनोज कुमार मिश्रा, सन्दीप कुमार मिश्रा व स्वर्तन कुमार मिश्रा को पुत्रगण होना दर्शाित किया है।

3. विपक्षी संख्या-1 श्रीमती नीलम सिंह ने याचिका का विरोध करते हुए अपना प्रतिवाद-पत्र कागज संख्या-23 के प्रस्तुत किया है, जिसमें याचिका के पैरा-1 ता 11/को जानकारी न होने के आधार पर इनकार किया है तथा पैरा-12 को स्वीकार किया है। पैरा-14 व 16 पर कोई टिप्पणी न किया जाना कहा है तथा अतिरिक्त कथन में यह कहा है, कि यात्री ने बिलकुल असत्य कथन के आधार पर दाखिल किया, जिसमें विपक्षी को पूर्णतया इनकार है। विपक्षी के वाहन नम्बर यू०पी-65ए०एच०/8733 मिनरी बस जिसका रीजिस्ट्रेशन दिनांक 25-8-07 तक है, को स्वामिनी है, जिसको विपक्षी संख्या-4 धनुषधारी यादव पुत्र धुरहू यादव द्वारा शानदीप इंटरलुडा स्कूल में चलाई जा रही थी, जिसका तैयारी व लापरवाही से वाहन को चालक द्वारा चलाया जाना सम्भव नहीं है। विपक्षी संख्या-4 का ड्राईविंग लाइसेंस धटना दिनांक तक प्रभावी रहा। विपक्षी का उपरोक्त वाहन डी०यू० ईण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड वाराणसी से बीमाकृत है, जिसकी प्रथम दिनांक 27-12-06 से 26-12-07 तक है। यात्री द्वारा बिलकुल गलत तौर पर विपक्षी के वाहन को डी०यू० स्यूटेबल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड से बीमाकृत होना जाहिर किया गया है। प्रथम दिनांक 20-08-2007 को प्रदर्शित है, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट कोपली दिनांक से दिनांक 07-09-07 को सुनिश्चित दंग से दर्ज कराया गया है। यात्री द्वारा प्रस्तुत इंजरी रिपोर्ट से इनकार है। वाद-पत्र




30/5

में आवश्यक प्रकार न बनाये जाने का दस्तावेज है। यदि दुर्घटना सतीत होती है, तो कोई अनुतोष पाने का अधिकारी यात्री को पाये जाने पर वह विपक्षी बीमा कम्पनी से पाने का अधिकारी होगा। अतः उसके विरुद्ध याचिका निरस्त की जाय।

4. विपक्षी संख्या-2 कृष्ण कुमार मिश्र उर्फ लालधर मिश्र ने याचिका का विरोध करते हुए अपना प्रतिवाद-पत्र कागज संख्या-19क प्रस्तुत किया है जिसमें याचिका के पैरा-1 ता 19 में किये गये कथन को स्वीकार किया है। पैरा-20 के सम्बन्ध में अतिरिक्त टिप्पणी नहीं किया है। अतिरिक्त कथन में कहा है, कि दुर्घटना के समय विपक्षी अपनी मोटर सायकिल हीरोहोण्डा सी.डी.100 वाहन संख्या यू.पी.65एस.0021 को बहुत सावधानी पूर्वक चलाते गीत से चला रहा था तथा दुर्घटना कारित होने में विपक्षी की कोई गलती नहीं थी। यह भी कहा है, कि विपक्षी की मोटर सायकिल हीरोहोण्डा सी.डी.100 वाहन संख्या यू.पी.65एस.0021 विपक्षी संख्या-3 दो ओरिस्संटल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड वाराणसी के पालिसी नम्बर-2348 सन् 2004 के द्वारा बीमाकृत है। यदि विपक्षी की कोई जिम्मेदारी बनती है तो इसके लिये विपक्षी संख्या-3 ओरिस्संटल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड वाराणसी जिम्मेदार है। अतः उसके विरुद्ध याचिका निरस्त की जाय।

5. विपक्षी संख्या-3 दो ओरिस्संटल इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड ने याचिका विरोध करते हुए अपना प्रतिवाद-पत्र कागज संख्या-13क प्रस्तुत किया है, जिसमें याचिका के पैरा-1 ता 5, 7 व 17 ता 19 की जानकारी न होना कहा है तथा पैरा-6, 10 ता 14 को स्वीकार किया है एवं पैरा-7, 16 को स्वीकार अथवा स्वीकार करने की आवश्यकता न होना बताया है। पैरा-15 को स्वीकार नहीं किया है। अतिरिक्त कथन में कहा है, कि पुलिस विद्वलकृत अस्तव्य कथन के साथ प्रतिकर प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया कथित दुर्घटना दिनांक 20 अगस्त 07 को कोई जानकारी विपक्षी बीमा कम्पनी को नहीं है। प्रार्थना-पत्र में प्रार्थी मुकदमा के द्वारा प्रथमगत कथित दुर्घटना विपक्षी संख्या-1 के स्कूल बस नम्बर यू.पी.65एस.एम/8733 के चालक द्वारा उपर्युक्त वाहन को रोक गीत व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए हीरोहोण्डा सी.डी. सायकिल यू.पी.65एस.0021 में टक्कर मारने के प्लस रूप घोटित होना प्रदर्शित किया गया है। कथित दुर्घटना में कोई तेजी व लापरवाही उपर्युक्त मोटर सायकिल के चालक/विपक्षी संख्या-2 की नहीं है। उपर्युक्त मोटर सायकिल के पंजीयन के सत्यापन से पता चलता है कि उक्त वाहन दिनांक 25-01-07 को सुरेन्द्र कुमार यादव पुत्र जंगली प्रसाद यादव निवासी ग्राम पूर्वी पीता 27



REDMI NOTE 6 PRO MI DUAL CAMERA

अरधमा जिला वाराणसी के नाम से है, जब कि उक्त वाहन का बीमा 23 जुलाई 07 से 22 जुलाई 08 तक की अवधि के लिये विपक्षी सं० 2 कृष्ण कुमार मिश्रा कराया गया है। इस प्रकार बीमा धारक कृष्ण कुमार मिश्रा का कोई स्वामित्व घटना की तिथि पर नहीं रही है। यात्री प्रसंगत दुर्घटना के समय उपर्युक्त मोटर सायकिल नम्बर यू.पी. 65 एस. 0021 पर पीछे बैठ कर यात्रा कर रहा था, इसलिए यात्री की स्थिति शुल्क मुक्त यात्री की थी और मोटर सायकिल के बीमा विवरण में पीछे बैठने वाले यात्री के सम्बन्ध में कोई दायित्व बीमा पालिसी से आस्थादित नहीं है। यात्री को घटना में जो चोटे इजरी रिपोर्ट में प्रदर्शित है, उसके अनुसार यात्री के शरीर पर कोई स्थायी अपंगता नहीं है। दवा इलाज एवं खर्च का विवरण भी यात्री के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रदर्शित प्रतिकर धनराशि के विवरण में यात्री मोटर सायकिल क्षति के मद् में प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। मोटर सायकिल के स्वामी के भाग न लेने की दशा में दफा-170 मोटर वाहन अधिनियम सभी तथ्यों पर बंधाव करने का अधिकार एवं वाहन स्वामी के विरुद्ध सस्ट ऑफ रिफरेंस का अधिकार सुरक्षित रखता है। उपर्युक्त वाद में स्कूल बस संख्या यू.पी. 65 एस. एम. 8733 की बीमाकर्ता एच सुन्दर कुमार यादव पुत्र जंगली प्रसाद यादव आवश्यक पक्षकार हैं, किन्तु पक्षकार नहीं बनाया गया है। वाद के निस्तारण में अनावश्यक रूप से विवल्ब किये जाने की वजह से यात्री प्रतिकर का कोई ब्याज पाने का अधिकारी नहीं है। अतः उसके विरुद्ध याचिका निरस्त किया जाय।

5. विपक्षी संख्या-5 विद्व. यू. ईण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने याचिका का विरोध करते हुए अपना प्रतिवाद-पत्र कागज संख्या-27क प्रस्तुत किया है, जिसमें याचिका के पैरा-1, 3, 6 व 8 ता 15 व 17 ता 20 को अस्वीकार किया है तथा पैरा-7, 16 के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहसक है, अंकित किया है तथा अतिरिक्त कथन में यह कहा है, कि बीमा पालिसी होने से इनकार है, जब तक कि 64 वी. बी. इंश्योरेंस एक्ट के तहत प्रीमियम की धनराशि बीमा कम्पनी के कार्यालय में जमा होना न पाया जावे तथा उसका सत्यापन न हो जावे। यात्री की उम्र के सम्बन्ध में याचिका में किया गया कथन स्वीकार नहीं है, तथा उसके मासिक जीविका के सम्बन्ध में किया गया कथन भी

